

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No.2014/RS(G)/779/13

New Delhi, dated: 28.12.2015


The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, RWP/Bela, COFMOW

Sub: Drug Procurement Policy, 2014 - Schedule of powers to be followed in procurement of medicines.

Ref: 1. Rly. Bd. letter No. 2014/RS(G)/779/13 dated 3.2.2015
2. Rly. Bd. letter No. 88/RS(G)/779/14/Pt dated 12.3.2015

1. Various queries are being raised from field units about the Schedule of Powers (SOP) to be followed in procurement of Drugs and related items.
2. A comprehensive delegation of power has been circulated for stores contracts on 12th March 2015. That is applicable for all Stores contracts. This includes Civil Engineering Stores as well as procurement of medicines as well.
3. Accordingly, the March 2015 Delegation of Powers is to be followed for drug procurement as well irrespective of whether the procurement is done by Stores or Medical Department. However, since the value of medicine is normally lower than stores, in line with the provision given in SOP dt. 12.3.2015, the powers of drugs procurement may be further delegated by General Managers to the designated purchase officers in consultation with COS and FA & CAO.


This is issued in consultation with Medical Directorate and with concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.


(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2014/RS(G)/779/13

New Delhi, dated : 28.12.2015

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RWP/Bela, COFMOW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways



for Financial Commissioner / Railways

No. 2014/RS(G)/779/13

New Delhi, dated : 28.12.2015

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEes, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RWP/Bela, COFMOW
2. The Directors—
 - a) Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b) Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c) Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d) Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
 - e) Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - f) Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2014/RS(G)/779/13

New Delhi, dated : 28.12.2015

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

MR, MOS(R)
CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

7-1-2016

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13

नई दिल्ली, दिनांक

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण), कोर
महानिदेशक/अअमासं/लखनऊ और एनएआईआर/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरडब्ल्यूपी/बेला, कॉफमो

विषय : औषध खरीद नीति, 2014 - दवाइयों की खरीद में अपनाई जाने वाली शक्तियों की अनुसूची।

संदर्भ : 1. रेलवे बोर्ड का दिनांक 3.2.2015 का पत्र सं. 2014/आरएस(जी)/779/13,
2. रेलवे बोर्ड का दिनांक 12.3.2015 का पत्र सं. 88/आरएस(जी)/779/14/पार्ट.

1. औषधियों की खरीद और संबंधित विषयों में अपनाई जाने वाली शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) के बारे में फील्ड इकाइयों द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
2. 12 मार्च, 2015 को भंडार ठेकों के लिए एक विस्तृत शक्तियों का प्रत्यायोजन परिपत्रित किया गया है। यह सभी भंडार ठेकों के लिए लागू है। इसमें सिविल इंजीनियरिंग भंडार और साथ ही दवाइयों की खरीद भी शामिल है।
3. तदनुसार, औषध खरीद के लिए भी मार्च, 2015 की शक्तियों के प्रत्यायोजन का पालन किया जाना है, चाहे खरीद भंडार विभाग द्वारा की गई हो या चिकित्सा विभाग द्वारा। बहरहाल, चूंकि दवाई की कीमत सामान्यतः भंडार से कम होती है, अतः दिनांक 12.3.2015 के एसओपी में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, सीओएस और वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के परामर्श से महाप्रबंधकों द्वारा औषध खरीद के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन निर्दिष्ट खरीद अधिकारियों को किया जा सकता है।

इसे रेल मंत्रालय के चिकित्सा निदेशालय के परामर्श और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक, रेल भंडार(जी)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13

नई दिल्ली, दिनांक

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरडब्ल्यूपी/बेला, कॉफमो
3. एडीएआई(रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियां)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अंशक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

7-1-2016

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13

नई दिल्ली, दिनांक

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरडब्ल्यूपी/बेला, कॉफमो
2. निदेशक-
 - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद
 - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर
 - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
 - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), एनएआईआर, वडोदरा
 - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे
 - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ
3. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाडिया सर्किल, उदयपुर

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेल भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

7-1-2016

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13

नई दिल्ली, दिनांक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248 और एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन
2. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन

संतोष मित्तल
(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेल भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड